संख्या-72/2015/527/71-1-2015-जी-339/2012

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 27 मार्च, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा में कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2015/482, दिनॉक 16-03-2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेजों में कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 50,00,000/- (रू0 पचास लाख मात्र) के सापेक्ष मेडिकल कालेज, बांदा में ओ0पी0डी0 संचालन हेतु कम्प्यूटरीकृत पर्चा बनाने एवं भविष्य में आई0पी0डी0 एवं इमरजेन्सी सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण हेतु रू0 45,00,000/- (रू0 पैतालिस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3- मानक की पूर्ति एवं कार्य की गुणवत्ता का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बांदा एवं कार्यदायी संस्था का होगा।
4- स्वीकृत किये जा रहे कार्य में क्रय आदि के संबंध में क्रय नियमों, प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है और न ही इस योजना हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिससे कि कार्य की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो।
6- स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखी जायेगी।
7- प्रधानाचार्य द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग हेतु अपट्रान पावरट्रोनिक्स के साथ विस्तृत स्कोप आफ वर्क संबंधी अनुबन्ध निष्पादित किया जाएगा, जिसमें हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग हेतु यथासंभव अधिक धनराशि तथा साफ्टवेयर हेतु न्यूनतम धनराशि का उपभोग हो।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-52-राजकीय मेडिकल कालेजों में इन्टरनेट/नेटवर्किंग सुविधा-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव

संख्या: 72/2015/527(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बांदा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बांदा।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।